संख्या 3339/29-7-1993-78(ग)

प्रेषक,

[illegible] श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 1993

= = = = = = = = = = = =

विषय:- किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1993 का क्रियान्वयन।

= = = = = = = = = =

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और कीमत नियतन) आदेश 1966 और किरोसिन (अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1970 तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1988 समाप्त कर के उसके स्थान पर किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1993 (प्रतिलिपि संलग्न) लागू किया गया।

1. उपरोक्त दोनों आदेशों द्वारा मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की समानान्तर विपणन व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया है।

2- केन्द्र सरकार ने खुले बाजार में उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल को और अधिक उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ समान्तर विपणन व्यवस्था द्वारा भी मिट्टी का तेल दिए जाने की योजना तथा और अधिक मात्रा में आसानी से कुकिंग गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही यह कन्ट्रोल आर्डर बनाया है।

3- मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि यदि उपरोक्त प्रयोजनों हेतु मिट्टी तेल का और कुकिंग गैस का (Storage) डीलर, विपणन करने आदि के लिए निजी विपणन कर्ताओं द्वारा आपसे सम्पर्क किया जाय तो उपरोक्त कन्ट्रोल

--2--

कॉन्ट्रैक्ट आर्डर के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाय। यह भी सावधानी रखी जानी आवश्यक होगी कि किसी भी दशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल का Diversion होकर इसका कुकिंग गैस सामान्यतः विपणन व्यवस्था द्वारा न किया जाय।

4— अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

विनय कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या 3339(1)/29-7-तद्दिनांक
= = = = = = = = = = = =

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), उत्तर प्रदेश।
4— समस्त मण्डलीय सहायक खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
– अतिरिक्त आयुक्त खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश।
– अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक (फूडसेल) उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
8— स्टेट कोआर्डिनेटर एवं चीफ डिवीजनल मैनेजर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज, लखनऊ।
9— रीजनल मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10— डिवीजनल मैनेजर, भारतीय तेल निगम लि0, बरेली/इलाहाबाद।
11— खाद्य तथा रसद शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(विनय कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।